दिनांक- 07.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 674/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 07.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 07.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 675/26

महोबा पुलिस

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक चेकिंग अभियान...।

- आज दिनांक 07.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

दिनांक- 07.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 677/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खरेला पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल यादव द्वारा वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम के व0उ0नि0 शिवदान सिंह एवं हे0का0 प्रदीप कुमार द्वारा मु0अ0सं0 66/2001 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्त रज्जन उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रकरन सिंह, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी कस्बा खरेला थाना खरेला जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

रज्जन उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रकरन सिंह, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी कस्बा खरेला थाना खरेला जनपद महोबा

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 66/2001 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 शिवदान सिंह, थाना खरेला जनपद महोबा

हे0का0 प्रदीप कुमार, थाना खरेला जनपद महोबा

दिनांक- 07.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 678/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 07.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0नं0 2217/13 धारा 27घ/29/50/51 वन अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सुदिना उर्फ शिवदयाल पुत्र मगना, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, हालपता स्टेडियम के पीछे, मोहल्ला सुभाषनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को स्टेडियम के पीछे मोहल्ला सुभाषनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुदिना उर्फ शिवदयाल पुत्र मगना, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, हालपता स्टेडियम के पीछे, मोहल्ला सुभाषनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सत्यम मिश्रा, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

दिनांक- 07.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 679/26

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में चित्रकूट अमावस्या मेला को लेकर महोबा पुलिस अलर्ट, श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन के लिए मार्गों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का लिया जायजा...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आगामी चित्रकूट अमावस्या मेला के दृष्टिगत जनपद महोबा से होकर चित्रकूट जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु महोबा पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा जनपद से होकर चित्रकूट जाने वाले श्रद्धालुओं के मार्गों पर पहुंचकर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मार्ग पर तैनात पुलिस बल की ड्यूटी, यातायात व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत किए गए पुलिस प्रबंधों का जायजा लिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मार्ग से गुजर रहे श्रद्धालुओं से संवाद कर उनकी यात्रा के संबंध में जानकारी ली गई तथा उन्हें सड़क के किनारे सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक चलने, यातायात नियमों का पालन करने एवं अनावश्यक रूप से सड़क के मध्य न चलने का अनुरोध किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया गया कि उनकी सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए महोबा पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा डायल-112 पीआरवी वाहनों के निर्धारित रूट की भी चेकिंग की गई तथा पीआरवी की लोकेशन, रूट कवरेज एवं आकस्मिक स्थिति में मौके पर त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या एवं यातायात के दबाव को देखते हुए निरंतर सतर्क रहकर ड्यूटी करने तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड द्वारा भी चित्रकूट जाने वाले श्रद्धालुओं के मार्गों पर पहुंचकर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मार्ग पर ड्यूटी में लगे पुलिस बल की तैनाती एवं सतर्कता को चेक करते हुए श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन हेतु किए गए प्रबंधों का जायजा लिया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चित्रकूट अमावस्या मेला के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मार्ग सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पुलिस बल की तैनाती एवं आपातकालीन पुलिस सहायता व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

दिनांक- 07.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 680/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया।

उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त दृगचन्द्र सोनी पुत्र स्व0 कालका प्रसाद सोनी उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद करते हुये ग्राम रिवई मोड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-132/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

इसी क्रम में उ0नि0 ऋषी शुक्ला के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त ठाकुरदास पुत्र स्वामी प्रसाद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक की बोरी में 18 अदद क्वार्टर देशी शराब के झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुये ग्राम सौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-133/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.दृगचन्द्र सोनी पुत्र स्व0 कालका प्रसाद सोनी उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

2. ठाकुरदास पुत्र स्वामी प्रसाद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
2. कां0 नितिन कुमार

द्वितीय पुलिस टीम-

1.उ0नि0 ऋषी शुक्ला चौकी प्रभारी सौरा

2.हे0का0 जंगबहादुर

दिनांक- 07.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 681/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में जनपद महोबा में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब, जुआ, गांजा एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2026 को थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा मय हमराह कां0 राजीव कुमार व म0कां0 आकांक्षा द्वारा 01 नफर अभियुक्ता आरूषी पत्नी सुनील कुमार उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बिजवा थाना उल्दन जनपद झांसी, हाल पता कबूतरा डेरा ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 02 प्लास्टिक की पिपियों में 05-05 लीटर कुल 10 लीटर अवैध कच्ची महुआ देशी शराब नाजायज बरामद करते हुये ग्राम गौरहारी थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 191/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता:-

आरूषी उम्र करीब 28 वर्ष पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम बिजवा थाना उल्दन जनपद झांसी, हाल पता कबूतरा डेरा ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा।

बरामदगी:-

अभियुक्ता के कब्जे से 02 प्लास्टिक की पिपियों में 05-05 लीटर कुल 10 लीटर अवैध कच्ची महुआ देशी शराब नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2.कां0 राजीव कुमार
3.म0कां0 आकांक्षा

दिनांक- 07.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 683/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा अर्दली रूम में लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा, समयबद्ध निस्तारण हेतु दिए सख्त निर्देश; पैदल गश्त कर परखी सुरक्षा व्यवस्था।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 07.09.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह द्वारा थाना कुलपहाड़ एवं थाना अजनर पर नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ अर्दली रूम आयोजित किया गया।

अर्दली रूम के दौरान UP Police के SSO (Single Sign On) पोर्टल पर प्रदर्शित 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा की गई तथा उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अन्य लंबित विवेचनाओं, शिकायती प्रार्थना पत्रों, IGRS प्रकरणों, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा व्यक्तियों की खोज, अपहृताओं की बरामदगी, निरोधात्मक कार्यवाही, न्यायालय से निर्गत NBW की तामील, ई-समन, यक्ष ऐप, ई-साक्ष्य, NCRP पोर्टल एवं विभिन्न अभियानों की प्रगति की भी बिंदुवार समीक्षा की गई।

इस दौरान उपस्थित समस्त विवेचनाधिकारियों से उनके द्वारा विवेचित किए जा रहे प्रकरणों के संबंध में बिंदुवार जानकारी प्राप्त करते हुए प्रत्येक प्रकरण की प्रगति की समीक्षा की गई तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विवेचक अपने-अपने प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करें। साथ ही वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, न्यायालय से निर्गत NBW की शत-प्रतिशत तामील एवं जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह द्वारा थाना महोबकंठ क्षेत्र में पैदल गश्त (फुट पेट्रोलिंग) कर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक चेतावनी दी गई तथा व्यापारियों से संवाद स्थापित कर अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही आमजन एवं व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु आश्वस्त किया गया।